मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : mdmandiboard@gmail.com Tel: 0755-2553429

ई–अनुज्ञा क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक
दिनांक 17/09/2019
(कार्यवाही विवरण)

–0–

दिनांक 17/09/2019 को माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की उपस्थिति में प्रदेश के विभिन्न अंचलों के कृषि उपज मण्डी समितियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों यथा व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों, समस्त आंचलिक अधिकारियों एवं मण्डी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में दिनांक 16/08/2019 से क्रियान्वित ई–अनुज्ञा पोर्टल की समीक्षा बैठक बोर्ड मुख्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई बैठक में व्यापारी संगठनों द्वारा ई–अनुज्ञा क्रियान्वयन के संबंध में उठाये गये बिन्दुओं यथा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1/ मण्डी फीस की राशि को चैक के माध्यम से भी स्वीकार किया जाये।
(संदर्भ – श्री समीर भार्गव, व्यापारी प्रतिनिधि, विदिशा जिला विदिशा)

मण्डी फीस की राशि को चैक के माध्यम से भी स्वीकार किया जा रहा है इसके लिये आवश्यक है कि चैक से प्राप्त राशि मण्डी के बैंक खाते में जमा होने के उपरांत व्यापारी ई–अनुज्ञा बना सकेंगे।

2/ भुगतान पत्रक में नीलामी दर पर लगाई गई 15000 की लिमिट को बड़ाया जायें।
(संदर्भ – व्यापारी प्रतिनिधि, कुरावर जिला राजगढ़)

उपरोक्त बिन्दु में चर्चा के दौरान उपस्थित व्यापारियों की सहमति पर लिये गये निर्णय अनुसार भुगतान पत्रक में नीलामी दर की लिमिट को राशि रु. 1.50 लाख तक बढ़ाने की सहमति दी गई।

3/ अनुज्ञा परिवहन की जाने वाली वाहनों में बैलगाड़ी को भी सम्मलित किया जाये।
(संदर्भ – श्री समीर भार्गव, व्यापारी प्रतिनिधि, विदिशा जिला विदिशा)

उक्त के संबंध में अवगत कराया गया कि उक्त सुविधा ई–अनुज्ञा में पूर्व से ही उपलब्ध है जिसकी प्रत्येक अनुज्ञा में कृषि उपज की मात्रा की लिमिट प्रति बैलगाड़ी 10 क्विंटल नियत की गई है।

4/ अनुज्ञा पत्र निरस्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
(संदर्भ – श्री रमेश जैन, व्यापारी प्रतिनिधि, ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं श्री समीर भार्गव, व्यापारी प्रतिनिधि, विदिशा जिला विदिशा)

- ई–अनुज्ञा का वाहन आंशिक या पूर्ण रुप से रिजेक्ट होती है तो गन्तव्य मण्डी से ऑन लाईन अनुज्ञा में रिक्युस्ट जनरेट की जायेगी। जो जारीकर्ता मण्डी को ऑन लाईन दिखेगी जिसका सत्यापन उपरांत उक्त अनुज्ञा की उपज मात्रा में, पार्टी के नाम अथवा पूर्ण रुप से निरस्त करायी जा सकेगी। यह सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

- अनुज्ञा पत्र बनाते समय यदि ऑपरेटर/जारीकर्ता से किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो वह उस अनुज्ञा पत्र को मण्डी सचिव की लॉगिन आई.डी. से निर्धारित 06 घंटे की समयावधि में निरस्त/डिलिट किये जाने की सुविधा उपलब्ध है। इसके पश्चात बोर्ड मुख्यालय की ई–अनुज्ञा शाखा द्वारा निरस्त/संशोधित की जायेगी।

- राज्य के अंदर के अनुज्ञा पत्रों में यदि ऑपरेटर/जारीकर्ता तथा गन्तव्य मण्डी से ऑन लाईन अनुज्ञा पर कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो उक्त अनुज्ञा को सत्यापन होने से पूर्व निरस्त/डिलिट किया जा सकेगा। यदि गन्तव्य मण्डी द्वारा सत्यापन कर दिया गया है तो उक्त अनुज्ञा का संशोधन मण्डी सचिव की अनुशंसा के आधार पर मुख्यालय स्तर से किया जा सकेगा। जिसका रिकार्ड मण्डी समिति द्वारा दिनांकवार संधारित किया जावेगा।

5/ अनुज्ञा पत्र गोदाम के लिये जारी नहीं हो रहे हैं।
(संदर्भ – श्री रमेश जैन, व्यापारी प्रतिनिधि, ब्यावरा जिला राजगढ़)

अनुज्ञा प्रणाली में अनुज्ञा जारी करने के 05 ऑप्शन दिये गये हैं यह सुविधा प्रारंभ से ही उक्त पोर्टल में उपलब्ध है जिसमें अनुज्ञा जारी करते समय ही आप्शन चुना जाना है जिसमें विक्रय के लिये, स्टाक के लिये, प्रसंस्करण के लिये, ग्रेडिंग के लिये, तथा सॉर्टिंग के लिये चुना जाकर अनुज्ञा जारी की जा सकती है। परन्तु यदि गोदाम पर स्टाक के लिये चुना जाकर अनुज्ञा जारी कराई जाती है तो वह अनुज्ञा स्वंय के लिये साथ ही स्वंय के संस्थान के गोदाम के नाम से ही की जा सकेगी।

6/ क्रय की गई उपज में नमी के कारण वजन में आ रहे कमी/वृद्धि में अंतर के संबंध में।
(संदर्भ – व्यापारी प्रतिनिधि, कुरावर जिला राजगढ़)

व्यापारी द्वारा क्रय कर भण्डारण की गई कृषि उपज में घटती/बढ़ती की स्थिति के निवारण के लिये वर्तमान में कृषि उपज में घटती/बढ़ती की स्थिति के निवारण हेतु ई–अनुज्ञा पोर्टल में आवश्यक प्रक्रिया का समावेश किया गया है।

7/ भुगतान पत्रक में डिलिट का ऑप्शन उपलब्ध कराया जाये।
(संदर्भ – श्री समीर भार्गव, व्यापारी प्रतिनिधि, विदिशा जिला विदिशा)

बैठक में बताया गया कि भुगतान पत्रक में डिलिट का ऑप्शन मण्डी सचिव, मण्डी आपरेटर तथा व्यापारी लॉगिन पर पूर्व से उपलब्ध है।

Sandeep

8/ एकजाई भुगतान पत्रक की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
(संदर्भ – व्यापारी प्रतिनिधि, कुरावर जिला राजगढ़)

ई–अनुज्ञा पोर्टल पर एकजाई भुगतान पत्रक दर्ज किये जाने के संबंध में ई–अनुज्ञा पोर्टल पर एक्सेल शीट उपलब्ध कराई गई है जिसमें सीधे व्यापारी द्वारा दैनिक क्रय के भुगतान पत्रक एक्सेल शीट में एक बार में दर्ज कर पार्टल पर अपलोड किये जा रहे हैं।

9/ भुगतान पत्रक में यू.टी.आर. नम्बर की आवश्यकता को समाप्त किया जाये।
(संदर्भ – श्री समीर भार्गव, व्यापारी प्रतिनिधि, विदिशा जिला विदिशा)

ई–अनुज्ञा पोर्टल पर भुगतान पत्रक में यू.टी.आर. नम्बर की अनिवार्यता नहीं है यह ऑप्शनल रखा गया है। इसकी जानकारी बैठक में समस्त प्रतिनिधियों को दी गई है।

10/ तम्बाकू में मण्डी टैक्स नहीं है परन्तु वसूली की जा रही है।
(संदर्भ – श्री गोपालदास अग्रवालजी, अध्यक्ष, व्यापारी संघ, इंदौर)

मण्डी अधिनियम 1972 में अधिसूचित कृषि उपजों की सूची में क्रमांक 05 स्वापक में तम्बाकू, पान एवं अफीम के डोडा (पॉपी केप्सूल) अधिसूचित होने की जानकारी नियमन शाखा द्वारा दी गई है अतः इस पर मण्डी फीस ली जाना स्वाभाविक है।

- **व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है।**
(संदर्भ – श्री गोपालदास अग्रवालजी, अध्यक्ष, व्यापारी संघ, इंदौर)

ई–अनुज्ञा पोर्टल कार्य के इच्छूक व्यापारियों को उनके स्वयं के द्वारा पोर्टल पर पंजीयन करने पर लॉगिन आई.डी. व पासवर्ड प्रदाय किया गया है जिसका उपयोग करके वे स्वयं के प्रतिष्ठान से ई–अनुज्ञा बनाने की सुविधा प्रदान की गई है। वर्तमान में 50 प्रतिशत से अधिक व्यापारी स्वयं ही ई–अनुज्ञा बना रहे हैं।

साथ ही कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1233–1234 दिनांक 20/09/2019 से मण्डी में व्यापार करने वाले प्रत्येक व्यापारी को ई–अनुज्ञा पोर्टल के लाभों की विस्तृत जानकारी सहित पत्र प्रेषित किया है।

- **व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों को दूर करने के लिये संवाद हो, क़ानून सरल हो।**
(संदर्भ – श्री गोपालदास अग्रवालजी, अध्यक्ष, व्यापारी संघ, इंदौर)

बैठक में अवगत कराया गया है कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1206–1207 दिनांक 14/08/2019 से प्रत्येक की कृषि उपज मण्डी समितियों हेल्पडेस्क की सुविधा आरम्भ की गई है जिसके अंतर्गत ई–अनुज्ञा कार्य में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों की आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान करने एवं व्यापारी द्वारा जारी भुगतान पत्रकों की प्रविष्टि में हर संभव सहयोग करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ सभी अंचल कार्यालयों एवं मण्डी बोर्ड मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

Randeep

11/ भुगतान पत्रक समय पर सत्यापित नहीं किये जा रहे हैं।
(संदर्भ – श्री सुशील गुप्ता, व्यापारी प्रतिनिधि, शाहगढ़ जिला सागर)

समस्त मण्डी सचिवों को भुगतान पत्रक 3 दिवस की समय सीमा के अंदर सत्यापित करने के निर्देश पत्र क्रमांक/बी–6/नियमन/ई–अनुज्ञा/2019–20/पी–3/1218–1219 दिनांक 16/08/2019 के साथ मण्डी सचिवों को पाबंद किया गया है।

12/ तत्काल टैक्स पेड माल/उपज का ई–अनुज्ञा बनना चाहिये।
(संदर्भ – व्यापारी प्रतिनिधि, कुरावऱ जिला राज)

इस आशय का समावेश ई–अनुज्ञा पोर्टल पर उपलब्ध है। इसकी जानकारी बैठक में सभी प्रतिनिधियों को दी गई है।

13/ सौदा पत्रक बनाया जाये।
(संदर्भ – श्री समीर भार्गव, व्यापारी प्रतिनिधि, विदिशा जिला विदिशा)

इस आशय का समावेश ई–अनुज्ञा पोर्टल पर उपलब्ध है। इसकी जानकारी भी बैठक में सभी प्रतिनिधियों को दी गई है।

अंत में माननीय मंत्री सह अध्यक्ष महोदय की अनुमति से धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।
(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

(डॉ.केदार सिंह)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ0क्र0 / बी–5 / 2 / ई–अनुज्ञा / 2019–20 / 1323 भोपाल दिनांक 06 फरवरी 2020

प्रतिलिपि :–

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(02) अपर संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(03) श्री गोपालदास अग्रवाल, अध्यक्ष, म0प्र0 सकल अनाज, दलहन, तिलहन, व्यापारी महासंघ, समिति इंदौर।

(04) श्री ए0एन0सिद्धीकी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(05) श्री मुशर्रफ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(06) संयुक्त संचालक (नियमन) / उप संचालक (वित्त / आडिट) / सहायक संचालक (नियमन), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(07) श्री रामकिशुन असाटी, कंसलटेंट (ई–अनुज्ञा), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(08) श्री मनोज सबरवाल, सहायक उपनिरीक्षक (ई–अनुज्ञा टीम, मण्डी बोर्ड मुख्यालय), द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति भोपाल जिला भोपाल।

06/2/2020

अपर कलेक्टर / अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल